न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2022	07.06.2022	16.11..2022

//उनवान//

1 श्री भगवान पुत्र जालमसिंह जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

2 लल्लूराम पुत्र जालमसिंह जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136
एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव – वकील प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 16.11.2022

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 911, 912, 913, 925, 927, 940, 941, 1148 वाके ग्राम मानका जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होकर विवादित आराजी कहलायेगी तथा ख0नं0 1148 में प्रार्थीगण श्री भगवान, लल्लूराम पुत्रान जालमसिंह की जाति अहीर के बजाय ब्राह्मण गलत दर्ज कर दी एवं ख0नं0 911, 912, 913, 925, 927, 940, 941 के बाबत के हाल रिकॉर्ड में प्रार्थी श्री भगवान के बजाय गलत नाम भगवान पुत्र जालमसिंह का अंकन कर दिया है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की खानदानी कब्जेकाश्त की आराजी रही है। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात में श्री भगवान नाम दर्ज एवं राजस्व रिकॉर्ड के साबिक रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण की जाति अहीर दर्ज है तथा प्रार्थीगण के परिवार में श्री भगवान के अलावा भगवान नाम का कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति [illegible] के कारण श्री भगवान के स्थान पर भगवान व प्रार्थीगण की जाति अहीर [illegible] जाति ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है जिन्हें प्रार्थीगण दुरूस्त करा[illegible] प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के [illegible] नाम भगवान के स्थान पर श्री भगवान व प्रार्थीगण की [illegible] अहीर दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक वादी स्वयं सिद्ध करे। अंकित करते हुये वादीगण द्वारा पुरानी जमाबंदी जिसमें जाति अहीर एवं बाद में ब्राह्मण गलत दर्ज कर दी गई हो वादी स्वयं सिद्ध करे के बाबत का अंकन कर पेश किया गया है।

...अधिकारी
...वर (अलवर) राज0

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत पलावा, मैजरनामा ग्रामवासी पलावा, नकल हाल किता 03 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 एवं नकल

जमाबंदी सम्वत् 2070, सहखातेदारान राजवीर पुत्र सूरजभान, सुखवीर पुत्र बदरी, हनुमान पुत्र बदरी, गीता पत्नि बदरी प्रसाद की ओर से सामूहिक शपथपत्र तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की खानदानी कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा आराजी के साबिक रिकॉर्ड में प्रार्थी सं0 01 का नाम श्री भगवान एवं प्रार्थीगण की जाति अहीर दर्ज रिकॉर्ड रही है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत पलावा, मैजरनामा ग्रामवासी पलावा, नकल हाल किता 03 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2070, सहखातेदारान राजवीर पुत्र सूरजभान, सुखवीर पुत्र बदरी, हनुमान पुत्र बदरी, गीता पत्नि बदरी प्रसाद की ओर से सामूहिक शपथपत्र तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रतियां पेश की है जिसके मुताबिक प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र को स्पष्ट रूप से साबित किया है अभिकथन करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के हाल आराजी ख0नं0 911, 912, 913, 925, 927, 940, 941, 1148 वाके ग्राम मानका जिला अलवर राजस्थान के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं0 01 के बाबत के नाम भगवान के हो रहे अंकन को एवं प्रार्थीगण की जाति ब्राह्मण के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं भगवान के बजाए नाम श्री भगवान का अंकन किये जाने एवं प्रार्थीगण की जाति ब्राह्मण के बजाए अहीर अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **16.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मय हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बडगुजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड़ाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0